**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में**
**वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग**

**17 वाँ तल , जवाहर व्यापार भवन,**
**(एस. टी. सी. भवन)**
**टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

**फा० सं० ए-110018/01/2021- सीएक्यूएम-371** **दिनांक 02 नवम्बर, 2022**

**विषय: सी एंड डी परियोजनाओं में धूल नियंत्रण उपाय – एंटी स्माग गन का प्रयोग |**

जबकि, सी एंड डी गतिविधियों से धूल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक बड़ा एवं निरन्तर श्रोत है और पी एम 2.5 और पी एम 10 के स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है ;

2. जबकि, भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सी एंड डी गतिविधयों से धूल के प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 6 और 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए " निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम " अधिसूचित किए;

3. जबकि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी "निर्माण सामग्री एवं सी एंड डी अपशिष्ट से धूल कम करने के उपाय पर दिशा निर्देश 2017" जारी किए;

4. जबकि, धूल कम करने के उपायों मे, अन्य बातों के साथ साथ नमी को दवाना (वेट सप्रेशन), विंड ब्रेकर्स, धूल रोकने के लिए आड़ लगाना, निर्माण सामग्री और सी एंड डी मलवा को ढकना, सी एंड डी वेस्ट को ढक कर, उचित निपटान हेतु वाहन में ले जाना आदि निर्धारित किए गए हैं;

5. जबकि, निर्माण क्षेत्र से व्यावहारिक अनुभव और निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार धूल नियंत्रण उपायों का अनुपालन की आवश्यकता है ;

6. जबकि, आयोग द्वारा यह महसूस किया गया कि एन सी आर में सी एंड डी गतिविधियाँ बढ़ रही है और धूल कम करने के उपायों के अनुपालन की प्रभावी ढंग से निगरानी केवल फिजिकल निरीक्षण से नहीं हो सकती ;

7. जबकि, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने सांविधिक निर्देश संख्या 11-18 दिनांक 11.06.2021 जारी की जिसके तहत एन सी आर में चल रही सभी सी एंड डी परियोजनाओं में (500 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्र के प्लाट) एन सी आर राज्य सरकारों / जीएनसीटीडी द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराए जाने चाहिए जिससे कि परियोजना स्थल पर ऐसी परियोजनाओं की धूल कम करने के उपायों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके ;

8. जबकि, अन्य बातों के साथ साथ, निर्देशों में धूल कम करने के उपायों के लिए एक चेक लिस्ट दी गई है और परियोजना स्थल पर काल फॉर विडियो फेंसिग की सुविधा भी दी गई है;

9. जबकि, उपरोक्त सांविधिक निर्देशों में निर्माण एवं विध्वंस स्थल पर बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुई धूल पर एन्टी स्मोग गन, वाटर कैनन, स्प्रिंकलर आदि से उपचारित पानी के प्रयोग की बात कही गई थी;

10. जबकि, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक विस्तृत नीति बनाई और जुलाई 2022 में परिचालित की जिसमें निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों में धूल कम करने , एन्टी- स्मोग गन के सी एंड डी परियोजना स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में लगाई जाए जो पूरे निर्माण क्षेत्र में निम्नवत होगा : -

5000 - 10,000 वर्ग मीटर के बीच के निर्माण क्षेत्र में कम से कम 1

10001 - 15000 वर्ग मीटर के बीच निर्माण क्षेत्र में कम से कम 2

15001-20000 वर्ग मीटर के बीच के निर्माण क्षेत्र में कम से कम 3

20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण क्षेत्र में कम से कम 4

11. जबकि, सी एंड डी परियोजना स्थलों पर उपरोक्त अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार एन्टी स्मोग गन 30.09. 2022 से लगाने का अनुपालन सुनिश्चित करना है;

12. जबकि, पूरे एनसीआर में सर्दियों के मौसम में खराब वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु संशोधित ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान के अनुसार निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोग गन के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गये है जो कि जीआरएपी के चरण 1 (दिल्ली में खराब एक्यूआई 200-300 के बीच) से शुरू होते हैं ;

13. अब, इसलिए एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन सी आर में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली धूल को कम करने के लिए आयोग आगे निर्देश देता है कि सभी सी एन्ड डी परियोजनाओं को परियोजना के कुल क्षेत्र के अनुपात में एन्टी स्मागं गन को लगाने और बार- बार इसके प्रयोग को निम्न्वत्त सुनिश्चित किया जायेगा : -

5000 - 10,000 वर्ग मीटर के बीच के निर्माण क्षेत्र में कम से कम 1

10001 - 15000 वर्ग मीटर के बीच निर्माण क्षेत्र में कम से कम 2

15001-20000 वर्ग मीटर के बीच के निर्माण क्षेत्र में कम से कम 3

20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण क्षेत्र में कम से कम 4 |

उपरोक्त निर्देशों का विस्तृत रूप से प्रचार किया जाए और सभी संबंधितों द्वारा कठोरता से लागू किया जाए; इन निर्देशों का अनुपालन न करना एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और पर्यावरण मुआवजा भी लगाया जा सकता है |

हस्ता ०
(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष न०: 011-23701197
011-23446811
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :

1. सदस्य सचिव, उ.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड
4. सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य प्रदूषण बोर्ड

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, उ. प्र. सरकार , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 101 लोक भवन, यूपी सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग , लखनऊ – 226001;
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार , राजकीय सचिवालय, हरियाणा सरकार , चौथा तल , सिविल सचिवालय सेक्टर – 1, चंडीगढ़ ;
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार , राजकीय सचिवालय, जयपुर, राजस्थान- 302005
4. मुख्य सचिव, एन सी टी , दिल्ली सरकार , तीसरी मंजिल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली – 110002;

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव